


## फर्द अहकाम

श्रीमती सुनीता रंगभीका बनाम प्रकाश चन्द व अन्य

यालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

या 32/19

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/3/25	<p>पञ्जाबणी पेशादुर्डी पक्कीक प्राची व अप्राची सं. 4 व 5 अणु अप्राची सं. 7 व 9 बावपुड रजिस्टर्ड अणु सूचना अनुपाचित अप्राची सं. 7 व 9 के विरुद्ध एक तरफ कार्रवाई की जाती है वक्कीक उभयपक्षों की वदत सुनी गडी। पञ्जाबणी व शास्त्र रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन काने व वक्कीक की वदत का भनन काने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रकाण में अप्राची सं. 1, 2, 3, 4 व 7 व 9 के विरुद्ध एक तरफ कार्रवाई हो चुकी है शीक अप्राची सं. 4 व 5 को ओर से जबाद पेशा नही वेने पा जबाद वदत कि भागया प्राची रिकार्डें 29 गिदार का रिकार्ड दर्प रिकार्ड हैं अप्राचीण की ओर से कोड प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही हैं ऐसी स्थिति में इसी न्यायालय द्वारा जारी अट्वाड किपेक्षा दिनांक 13/3/2019 को ता-फेसण दावा स्थाई (Absolute) किया जाता है। पञ्जाबणी नामा से कक वेका बाद तक भीक दाखिल दफता हो। सुनायगणा</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)